प्रारूप–11

(नियम 7 (1) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका चाकसू

मामला सं. 02 और 4 वर्ष 2014

अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान जरिये सचिव श्रीमति निर्मला वर्मा पत्नि श्री विकेश खोलिया निवासी ग्राम–पोस्ट बस्सी, जिला जयपुर

.... आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक : 12.08.2014

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

(1) ऊपर नामित आवेदको ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का शैक्षणिक संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
चाकसू जिला जयपुर	चाकसू पूर्व	2824/1, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831/1, 2832/1, 2833/1, 2835/1, 2837/1, 2838, 2839, 2840	कुल 0.81 हैक्टर

(2) आवेदको ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का शैक्षणिक संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 2824/1 रकबा 0.11 हे., 2826 रकबा 0.03 हे. 2827 रकबा 0.02 हे., 2828 रकबा 0.04 हे., 2829 रकबा 0.10 हे., 2830 रकबा 0.07 हे., 2831/1 रकबा 0.02 हे., 2832/1 रकबा 0.07 हे., 2833/1 रकबा 0.05 हे., 2835/1 रकबा 0.01 हे., 2837/1 रकबा 0.01 हे., 2838 रकबा 0.09 हे, 2839 रकबा 0.09 हे, 2840 रकबा 0.10 हे कुल किता 14 रकबा 0.81 हैक्टर की ग्राम चाकसू पूर्व तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का शैक्षणिक संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस

SECRETARY
Manav P.G. Mahavidyala,
CHAKSU (Jaipur)

आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदको/आवेदको द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12.08.2014 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका चाकसू

सं. 02 दिनांक 12.08.2014

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर पालिका चाकसू
2. तहसीलदार, चाकसू तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान जरिये सचिव श्रीमति निर्मला वर्मा पत्नि श्री विकेश खोलिया निवासी ग्राम–पोस्ट बस्सी, जिला जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका चाकसू

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

[illegible]	: 201500124[illegible]	Dated	: 25/02/2015
Name	: ABHINAV EDUCTION AND SOCIAL D	Face Value	: 0
[illegible] Address	: BASSI		
[illegible]	: Lease deed for local bodies (Patta)		
[illegible]	: EONF, CHAKSU		
[illegible]	: 2015[illegible]011	Stamp Value	: 0

Registration Fee	: 0	Commission Fee	: 0
[illegible]/Inspection Fee	: 0	Custody Fee	: 0
Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
[illegible] Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 5100
[illegible] Stamp Duty	: 510		
[illegible] 25-34	: 0		

TOTAL : 5610

---------------Already Paid------------------------

[illegible] No : / Amount : 0

DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

[illegible]AS GRN No. : 5183964 / Amount : 5610
Deposit Bank : SBBJ CHAKSU / Date : 25/02/2015

E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

E-Mitra Token No. : / Amount : 0
[illegible]Mitra Token Date :

SHCIL Recpt No. : / Amount : 0
[illegible]CIL Receipt Date :

Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

[illegible]unt Rs. Five Thousand Six Hundred Ten only

Sub Registrar, CHAKSU

सचिव
अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक
विकास संस्थान बस्सी जयपुर
रजि. 87 2000-2001 JPR

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SR OFFICE CHAKSU
CHAKSU
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

: 2015001908 Dated : 23/02/2015
: ABHINAV EDUCATION AND SOCIAL D Face Value : 510560
: BASSI
Stamp Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Claimant Name : EONP, CHAKSU
Document S.No. : 2015002011 Stamp Value : 0

Ordinary Registration Fee	: 5510	Commission Fee	: 0
Copy/Searching/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 20430
Surcharge on Stamp Duty	: 2050		
Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 28290

---Already Paid---

Stamp No. : / Amount : 0

Paid - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

Paid - EGRAS CPI No. : 5163509 / Amount : 28290
Deposit Bank : SBBJ CHAKSU / Date : 02/2015

Paid - Franking No. : / Amount : 0
Stamp Date :

Paid - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date :

Paid - SHCIL Recpt No. : / Amount : 0
SHCIL Receipt Date :

Paid - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount : Twenty Eight Thousand Two Hundred Ninty only

सचिव
अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक
विकास संस्थान

परिशिष्ठ

कार्यालय नगर पालिका चाकसू

(नगर निक्राय का नाम)

राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह .... के .... वे दिन जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/नगर परिसद्/नगर पालिका मण्डल चाकसू (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान जरिये सचिव श्रीमति निर्मला वर्मा पत्नी श्री विकेश खोलिया** ज़ाति रैगर व्यवसाय शैक्षणिक कार्यालय ग्राम–पोस्ट, बस्सी, जिला जयपुर (ज़िनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है।)द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यंकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान राजस्व ग्राम चाकसू के खसरा संख्या 2824/1/0.11, 2826/0.03, 2827/0.02, 2828/0.04, 2829/0.10, 2830/0.07, 2831/1/0.02, 2832/1/0.07, 2833/1/0.05, 2835/1/0.01, 2837/1/0.01, 2838/0.09, 2839/0.09, 2840/0.10किता 14 रकबा, क्षेत्रफल 0.81 है. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेणवर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वें सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें, और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखंण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये पान्च लाख दस हजार पांच सौ साठ अंके 510560/- ....मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, तो सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल शैक्षणिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयीं है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ठ निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावयश्क परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो, या किन्ही पृथक आदेशों, द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

निर्मला

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :– चाकसू

राजस्व ग्राम :– चाकसू (पूर्व)

खसरा, नं. :– 2824/1/0.11, 2826/0.03, 2827/0.02, 2828/0.04, 2829/0.10, 2830/0.07, 2831/1/0.02, 2832/1/0.07, 2833/1/0.05, 2835/1/0.01, 2837/1/0.01, 2838/0.09, 2839/0.09, 2840/0.10किता 14 रकबा, 0.81 है. में से 1100 वर्ग मीटर रोड सीमा छोड़ते हुए 7000 वर्ग मीटर

योजना का नाम :– अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान, ग्राम–पोरट, बस्सी, जिला जयपुर

विस्तृत नाप सहित क्षेत्र वर्गगज/मीटर 7000 वर्ग मीटर

पूर्व I-J 12.9M, J-K 12.5M, K-L 21.5M, L-M 47.0M पश्चिम A-B 30.4M, B-C 23.6M, C-D 29.2M, D-E 27.3M, E-F 49.5M, F-G 45.8M भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो शैक्षणिक सीमा उत्तर G-H 30.6M, H-I 12.0M दक्षिण M-N 60.8M, N-O 16.0M, O-P 14.4M, P-Q 12.1M, Q-R 27.0M, R-S 10.5M, S-T 32.7M, रोड सीमा (H-I-J, ABCD) को छोड़ते हुए आवंटित क्षेत्र 7000 वर्ग मीटर अनुसार मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 2015 के माह .... के ...... वें दिन श्री .... ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

अधिशाषी अधिकारी
(सक्षम अधिकारी पालिका चाकसू एवं मोहर)

साक्षी :–

1. नाम विरेश खोलिया
पुत्र श्री ओरीलाल
व्यवसाय प्रोपर्टी डीलर
निवास स्थान ग्रा० पो० बस्सी

[signature]
... पालिका चाकसू

साक्षी

2. नाम कमलेश खोलीया
पुत्र श्री स्व. कैलाश चन्द खोलीया
व्यवसाय जॉब
निवास स्थान ग्राम – पोस्ट बस्सी

कमलेश भाट

साक्षी

आज .... सन् 20 .... के माह .... के .... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .... लीजधारक द्वारा कार्यालय .... में हस्ताक्षर किये गये।

निर्मल वर्मा
सचिव
लीजधारक अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान बस्सी जयपुर
नि. 87 2000-2001 JPR

साक्षी :–

1. नाम विरेश खोलिया
पुत्र श्री ओरीलाल
व्यवसाय प्रोपर्टी डीलर
निवास स्थान ग्रा० पो० बस्सी

[signature]

साक्षी

2. नाम कमलेश खोलीया
पुत्र श्री स्व. कैलाश चन्द खोलीया
व्यवसाय जॉब
निवास स्थान ग्राम – पोस्ट बस्सी

कमलेश भाट

साक्षी

निर्मला

आज दिनांक 23 माह February सन् 2015 को 16:41 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ABHINAV EDUECTION AND SOCIAL D पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NIRAMLA
उम्र 0 वर्ष, जाति RAIGAR व्यवसाय ______________
निवासी BASSI
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

निर्मला वर्मा
सचिव
अभिनव शैक्षिक एव सामाजिक
विकास संस्थान बस्सी जयपुर
रजि 87 2000-2001 JPR

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2015002011)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHAKSU

रसीद नं0 2015001908, 2015001966 दिनांक 23/Feb/15, 25/Feb/15
पंजीयन शुल्क रू0 5510/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/
अन्य शुल्क रू0 2560/
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 25530/-
कुल योग रू0 33900/-

(2015002011) उप पंजीयक, CHAKSU
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 25/Feb/15 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 390
में पृष्ठ संख्या 63 क्रम संख्या 2015001713 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1358
के पृष्ठ संख्या 37 से 42 पर
चस्पा किया गया।

(2015002011) उप पंजीयक, CHAKSU
(Lease deed for local bodies (Patta))

निर्मला

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1 A[illegible]
SA[illegible]
Ag[illegible]
Oc[illegible]
R/O [illegible]

(And [illegible]
1-F[illegible]
Ag[illegible]
Occ[illegible]
R/O-CHA[illegible]

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 510560/ पूर्व में/मेरे
समक्ष/मेरे से रू0 510560/ पूर्व में
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

निर्मलावर्मा
सचिव
अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक
विकास संस्थान बस्सी, जयपुर
रजि [illegible] JPR

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री VIKESH KHOLIYA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHORILAL उम्र 0 वर्ष
जाति RAIGAR व्यवसाय
निवासी BASSI

2. श्री/श्रीमती/सुश्री KAMLESH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH उम्र 0 वर्ष
जाति RAIGAR व्यवसाय
निवासी BASSI ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं

कमलेश रैगर

(2015002011) उप पंजीयक, CHAKSU (जयपुर)
(Lease deed for local bodies (Patta))

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 510560
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 25530 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 5510 कुल रूपये 33900
जरिये रसीद संख्या 2015001908ए 2015001966 दिनांक 23/Feb/15, 25/Feb/15

में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 25630
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2015002011) उप पंजीयक, CHAKSU
(Lease deed for local bodies (Patta))

निर्मला

ग्राम-पोस्ट बस्सी

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

MUNICIPAL BOARD CHAKSU

NAME :- अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान,जरिये सचिव श्रीमति निर्मला वर्मा पत्नि श्री विकेश खोलिया
ग्राम–पोस्ट बस्सी, जिला जयपुर
IN KHASRA NO- 2824/1 (0.11), 2826 (0.03), 2827 (0.02), 2828 (0.04), 2829 (0.10), 2830 (0.07),
2831/1 (0.02), 2832/1 (0.07), 2833/1 (0.05), 2835/1 (0.01), 2837/1 (0.01), 2838 (0.09), 2839 (0.09), 2840 (0.10)
कुल किता 14 रकबा 0.81 हैक्टर
IN REVENUE- VILLAGE-CHAKSU, TEH.-CHAKSU, JAIPUR
TOAL AREA:- 8100.00 SQ.MTR.
SCALE:- 1:1100

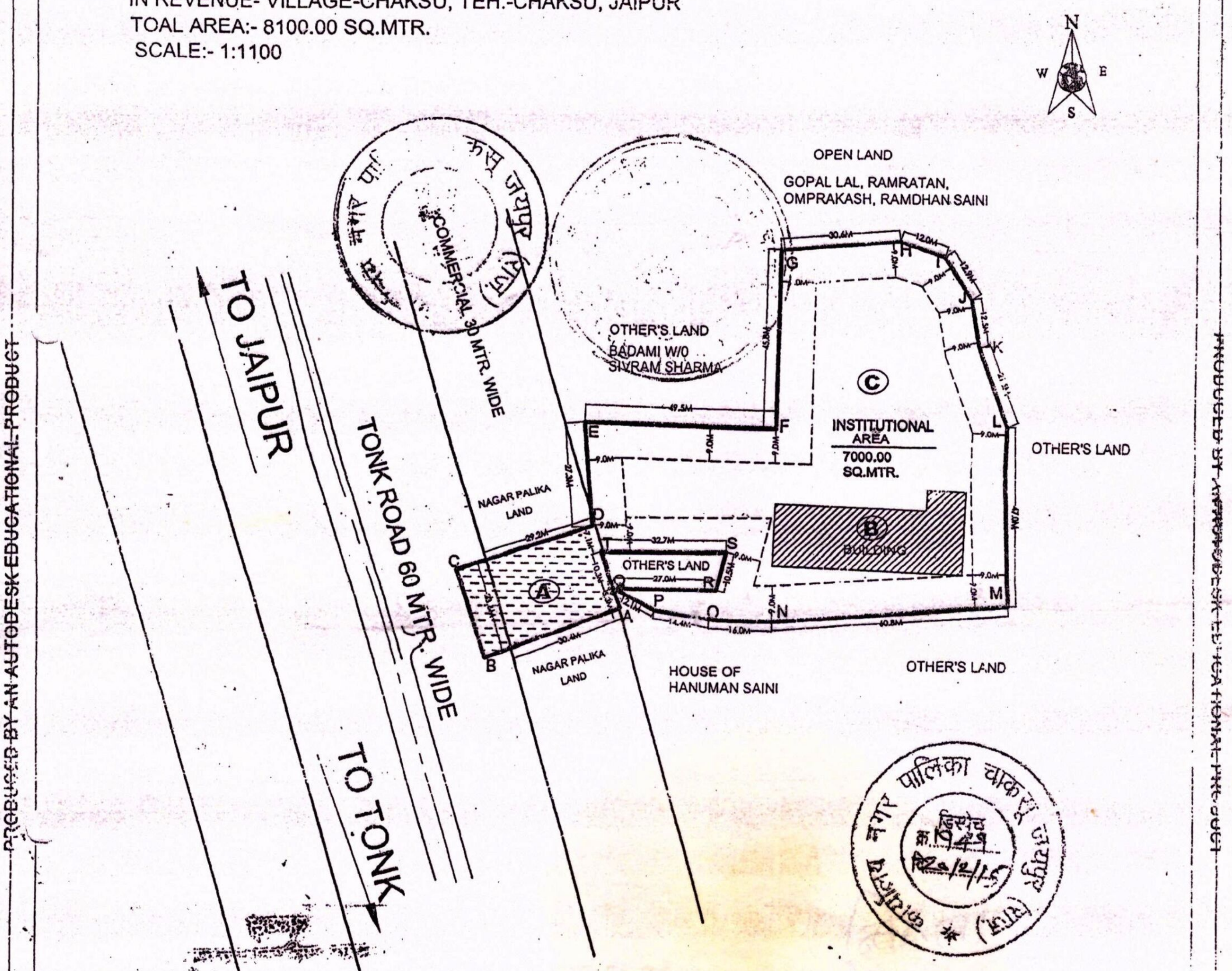

LEGENDS:-
- PROPERTY OUTER
- ROAD LINE
- COMM. 30 MTR. WIDE
- SET BACK LINE
- A — ROAD
- B — BUILDING
- C — OPEN LAND

AREA DETAILS:-
TOTAL AREA =8100.00 SQ.MTR.
AREA IN ROAD =1100.00 SQ.MTR.
REMAINING INSTITUTIONAL PLOT AREA=7000.00 SQ.MTR.
EXISTING BUILDING AREA =848.77 SQ.MTR.
OPEN LAND AREA = 6151.23 SQ.MTR.

निर्मला वर्मा
APPLICANT

A.E.N. / सहायक अभियन्ता
नगर पालिका चाकसू

E.O. / अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

C.M. / अध्यक्ष
नगर पालिका, चाकसू

सचिव
अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक
विकास संस्थान बस्सी जयपुर

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT